Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पाली में रोडवेज आगार का परिचालक 2 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *19 अगस्त।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की पाली–द्वितीय इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये अशोक विश्नोई परिचालक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, पाली–आगार, जिला पाली को परिवादी से 2 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली–द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके क्वारेंन्टाईन अवधि के वेतन एवं मकान किराया भत्ता का एरियर बनाने की एवज में अशोक विश्नोई परिचालक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, पाली–आगार, जिला पाली द्वारा 2 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी पाली–द्वितीय के **उप अधीक्षक पुलिस श्री महिपाल** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **पुलिस निरीक्षक श्री सीताराम बुनकर** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये अशोक विश्नोई पुत्र श्री सुखराम विश्नोई निवासी लूणी, जिला जोधपुर हाल परिचालक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, पाली–आगार, जिला पाली को परिवादी से 2 हजार रूपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।